

क्रमांक:- रामजा / संस्था / 2023-24 / 2336

दिनांक:- 06.03.24

E-Mail- gcjayal102013@gmail.com

विज्ञप्ति

आयुक्तालय के पत्र क्रमांक एफ1(02) विद्या संबल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21-00638/16 दिनांक 06.03.2024, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12.08.2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 07.08.2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित 'विद्या संबल योजना के अन्तर्गत (अधिकतम 14 साप्ताहिक घण्टे अनुसार) 800/- रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी (पूर्णतया अस्थाई) के रूप में राजसेस के अधीन संचालित राजकीय महाविद्यालय, छोटी खाटू (जिला- डीडवाना-कुचामन) में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य करवाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2024 दोपहर 03:00 बजे तक कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय जायल (नागौर) में आमंत्रित किये जाते हैं।

विषय – हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र और लोकप्रशासन (प्रत्येक विषय में एक पद)

निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र मय दस्तावेज दिनांक 11.03.2024 दोपहर 03:00 तक व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय वेबसाईट <https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/Circulars.php> पर उपलब्ध है।


प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, जायल

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

राजस्थान पत्रिका को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना सरकारी दर पर न्यूनतम साईज में स्थानीय नागौर संस्करण में प्रकाशित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें।


प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, जायल

राजकीय महाविद्यालय जायल (नागौर)

विद्या सम्बल योजनान्तर्गत सत्र 2023-24 हेतु गेस्ट फ़ैकल्टी के लिए आवेदन पत्र
(पूर्णतया प्रति कालाश मानदेय पर आधारित)

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म दिनांक :
4. आवेदित विषय :
5. आवेदित का वर्ग : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमीलेयर, दिव्यांग
(अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक अपना नॉन क्रिमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
6. शैक्षणिक योग्यता :



क्र. सं.	उपाधि :	वर्ष	सम्बन्धित विश्वविद्यालय	श्रेणी व प्रतिशत	अधिकतम अंक	प्राप्तांक
1	स्नातक					
2	स्नातकोत्तर					
3	एम.फिल					
4	पीएच.डी.					
5	जे.आर.एफ. सहित नेट					
6	नेट					
7	स्लेट/सेट					

7. शोध प्रकाशन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध अथवा सहकर्मी द्वारा समीक्षित जर्नल)

क्र.सं.	विषय	वर्ष	प्रकाशन प्रकार (ISBN/ISSN No.)

8. शिक्षण/पोस्ट डॉक्टरल अनुभव (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

1.

2.

3.

9. पुरस्कार (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)

क्र.सं.	पुरस्कार	वर्ष	संस्था का नाम

राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)

क्र.सं.	पुरस्कार	वर्ष	संस्था का नाम

आवेदक का मोबाईल नम्बर :

स्थायी पता :

ई-मेल :

हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी : पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाएं पूर्णतया सत्य है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021

जयपुर, दिनांक : 07.08.2023

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में।

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (2) वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 के बिन्दु संख्या 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :-

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे
ग्रेड-III	1 से 8	300/-	18 घंटे
ग्रेड-II	9 से 10	350/-	18 घंटे
ग्रेड-I	11 से 12	400/-	18 घंटे
अनुदेशक	-	300/-	18 घंटे
प्रयोगशाला सहायक	-	300/-	18 घंटे

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :


पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे
सहायक आचार्य	800/-	14 घंटे
सह आचार्य	1000/-	13 घंटे
आचार्य	1200/-	12 घंटे

(अ) पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने की अवधि प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निर्धारित की जा सकेगी।

.....2

- (ब) प्रति सप्ताह लिये जाने वाले अधिकतम कालांश की सीमा निर्धारित की गयी है। प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने स्तर पर इससे कम कालांश में भी पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जा सकता है।
- (स) प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जावे, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान भी किया जावे।"

पूर्व में जारी परिपत्र की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।


(रोहित गुप्ता)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त। 7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोषाधिकारी समस्त।
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
10. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प. 17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकानुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।


(मनीष माथुर)

संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 08/2023)

कार्यालय, प्राचार्य, राजसेस अधीन महाविद्यालय,.....

क्रमांक:-

दिनांक:-

नाम.....

पता.....

विषय:-विद्या संबल योजनान्तर्गत अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2024 जो भी पहले हो हेतु (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में प्रति कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित करने बाबत।

संदर्भ:- आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांकदिनांकके क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि विद्या संबल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय,..... में विषय..... में प्रति कालांश मानदेय रू. 800/- पर अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2024 जो भी पहले हो (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) अध्यापन कार्य हेतु दिनांक से के मध्य उपस्थित होकर महाविद्यालय में अपने मूल दस्तावेजों की जाँच एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (100/- स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित किया हुआ) उपरान्त अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त दिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त समझा जावेगा साथ ही समस्त दस्तावेजों के सही पाये जाने की स्थिति में ही आमंत्रण मान्य होगा।

प्राचार्य

राजसेस अधीन महाविद्यालय/नोडल महाविद्यालय

शपथ

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री (संस्थान का नाम)..... में दिनांक..... को प्रति कालांश के आधार पर अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2024 जो भी पहले हो तक के लिए (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैंकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया हूँ।

1. यह है कि मैंने.....संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/सा वि ले नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं। तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो संस्थान द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू. सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैंकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा /करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ, करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा अधिकतम 24 सप्ताह अथवा दिनांक 28.02.2024 जो भी पहले हो तक के लिए है। मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
8. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैंकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
9. मैं संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
10. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
11. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैंकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
12. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

राजस्थान सरकार
शिक्षा-विभाग
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ1()विद्या सम्बल/ आकाशि / गे.फै./ दिशा निर्देश /21 दिनांक:
प्राचार्य,
समस्त राजसेस अधीन महाविद्यालय

विषय:- विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित गैस्ट फैकल्टी के पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड।

महोदय,

विद्या संबल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार करने हेतु पी.एच.डी. उपाधिधारकों के संबंध में निम्न प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जानी है:-

दिनांक 11.07.2009 से पूर्व एम.फिल/ पी.एच.डी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थानों के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधो/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पी.एच.डी डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत् शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-

- अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पी.एच.डी प्रदान की गई हो,
- कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।
- अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।
- अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हैं जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुये हो।
- अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो।

- उपरोक्त (a) से लेकर (e) तक कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

विद्या संबल योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रेस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करनी है, तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर आवेदन आमंत्रित करने हैं। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो पुनः विज्ञापन देने से पूर्व नोडल/जिला स्तरीय महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदन मंगवाकर विद्या संबल का पैनल तैयार किया जाना है।

गैस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :-

- वित्त विभाग के परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करें। सार्वजनिक सूचना प्रसारित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जानें हैं।
- आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालयों स्तर पर गठित समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जावे।
- प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जाये, एक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।
- इस योजना के तहत आमंत्रित शिक्षक से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

पैनल का अनुमोदन संयुक्त निदेशक एच.आर.डी. की ई-मेल से ही किया जायेगा।

Signature valid

संयुक्त निदेशक एच.आर.डी.
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Digitally signed by Dr. Tara Chand
Bairwa
Designation : Professor
Date: 2023.08.12 08:24:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4506076





राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट:- <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:- hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736(O)

क्रमांक:एफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21-00638/16

दिनांक:- 06/03/2024

प्राचार्य,
समस्त राजसेस अधीन महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फ़ैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- विभाग का पूर्व राजकाज नम्बर 4508345 दिनांक 12.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वर्तमान में प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप महाविद्यालयों में द्वितीय सेमेस्टर में अध्यापन कार्य करवाये जाने हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देशों की पालना करते हुये आवेदन आमंत्रित कर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें:-

- (1) उक्त व्यवस्था द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो तक जारी रहेगी लेकिन नियमित नियुक्ति होने अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फ़ैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
- (2) उक्त योजना के तहत गेस्ट फ़ैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु लगाये जाने के संबंध में संबंधित प्राचार्यों के स्तर पर विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुये कार्यवाही की जानी है तथा पूर्व में दिये गये शपथ-पत्र को भरवाया जाना सुनिश्चित करें।
- (3) विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार कर गेस्ट फ़ैकल्टी को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किये जाने से संबंधित समस्त कार्यवाही नोडल महाविद्यालय/राजसेस महाविद्यालय के स्तर पर ही की जानी हैं।

- (4) वित्त विभाग द्वारा दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 को जारी परिपत्र में वर्णित दसों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन गेस्ट फ़ैकल्टी रख सकेंगे।
- (5) पत्र जारी होने की दिनांक से तीन कार्य दिवस का समय देते हुये विद्या संबल योजना के तहत आवश्यकतानुसार अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फ़ैकल्टी से आवेदन प्राप्त कर पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुये पैनल तैयार कर वरियता के अनुसार गेस्ट फ़ैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाना है। शेष शर्तों पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार यथावत रहेगी।

उक्त आदेश की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए द्वितीय सेमेस्टर में 13 मार्च तक अध्यापन कार्य शुरू करवाना सुनिश्चित करें।

3/06/03/24

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
02. नोडल महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन राजसेस महाविद्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
03. रक्षित पत्रावली।

3/06/03/24

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर